न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/39/2022

1. गुल्लाराम पुत्र श्री भौरिया जाति रैगर
2. धन्नालाल पुत्र श्री भौरिया जाति रैगर
3. रामधन पुत्र श्री भौरिया जाति रैगर

समस्त जाति रैगर निवासीयान ग्राम लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. बद्रीनारायण मीणा पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मीणा निवासी ग्राम लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. रामराजपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति जरिये अध्यक्ष, निवासी मकान नंबर 8 श्रीविहार जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जवाहर सर्किल जयपुर।
3. काली देवी पत्नी मुन्नीलाल जाति रैगर निवासी ग्राम लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. केसरी देवी पत्नी धन्नाराम
5. प्रभूदयाल पुत्र भौंरीलाल
6. श्रवणलाल पुत्र भौंरीलाल
7. भूरी देवी पत्नी स्व0 श्री भौंरीलाल

समस्त जाति रैगर, निवासीयान ग्राम लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 31.07.2023

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि भूमि खसरा नंबर 209/520 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 210/521 रकबा 0.12 हैक्टेयर स्थित ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का लूनियावास तहसील सांगानेर जयपुर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 7 की शामलाती खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि रोड पर स्थित है। वादीगण की उक्त भूमि से लगती हुई प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 209 व 210 है। दिनांक 28.10.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 कुछ लोगो के साथ वादीगण की उक्त भूमि पर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

आये और नाप जोख करने लगे। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 समिति वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 209/520 व 210/521 में दुकाने काट रही है तथा मै दुकानें खरीद रहा हूँ तथा दुकानें बनाने के लिये नाप जोख करा रहा हूँ। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 से भूमि क्रय की है। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा उनके साथ के लोगों से कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 व 4 वादीगण की भूमि विक्रय नहीं कर सकते है। वादग्रस्त भूमि हमारी खातेदारी कब्जे व उपभोग की भूमि है, किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि बैचने का कोई अधिकार नही है ना ही हमने उक्त भूमि किसी को बैची है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 दीगर समिति दुकानें काटने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रखती है और ना ही वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा कर दुकानें बनाने का आपको कोई अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा उनके साथ आये लोगों ने धमकी दी कि हमारी उपर तक पहुँच है हम दुकानें बनाकर ही दम लेंगे, तुम चाहों तो कुछ रूपये तुम्हें दे सकते है। दिनांक 25.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि पर जेसीबी लेकर नींव खोदने लगे जिसको आस–पडोस के लोगों की मदद से रोका। वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है जिसमे जबरन कब्जा कर दुकाने बनाने का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा वादीगण को अपने अधिकारों की सुरक्षा न्यायालय से प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त है जिसके लिये न्यायालय के समक्ष उक्त दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इस दावे के लिये वाद कारण दिनांक 28.10.2021 को तब उत्पन्न हुआ जब वाद ग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कुछ लोगों के साथ मिलकर नाप जोख करने लगे तथा दिनांक 25.02.2022 को तब उत्पन्न हुआ जब जे.सी.बी से नींव खोदने का प्रयास किया गया तब से निरन्तर बना हुआ है। दावा निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश किया गया है। दावा अन्दर मियाद पेश किया गया है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि स्थाई निषेधाज्ञा आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि में ना तो प्रवेश करें, न ही जबरन कब्जा करें, ना ही कोई निर्माण कार्य करें, ना ही उक्त कृत्य अपने परिवारजनों व प्रतिनिधियों के माध्यम से करें। अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण, प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 के विरूद्व प्राप्त करने का अधिकारी है, वह भी दिलवाया जाये। तथा इस दावे का हर्जा खर्चा भी दिलवाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन(रजिस्टर्ड एडी) नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री गौरव श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा अन्डरटेकिंग दी गई। लेकिन अनेक अवसर देने के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

उपरांत भी वकालतनामा पेश नही करने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई थी लेकिन बावजूद तामील उक्त प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र गुल्लाराम पुत्र श्री भौरिया पेश किया गया मुख्य परिक्षण करवाया गया।

बहस वादपत्र पर वकील वादी की एकपक्षीय सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रदर्श–1 खसरा नक्शा एवं जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 209/520 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 210/521 रकबा 0.12 हैक्टेयर वाकै ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 7 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नंबर 209 व 210 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्कार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 है। तथा प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के खसरा नंबर 209/520 व 210/521 की सीमा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के खसरा नंबर 209 व 210 से लगवा है। वादपत्र में अंकित कथन व प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नही है प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की भूमि की आड में वादीगण की भूमि में जबरन कब्जा करने, व वादीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित कर रहें। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण वादीगण के पक्ष में सिद्व है। वैसे भी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त विधिक तथ्य अखण्डनीय हैं। ऐसे में वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्ण सफल रहा हैं। वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य हैं।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 209/520 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 210/521 रकबा 0.12 हैक्टेयर वाकै ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में जबरन कब्जा नहीं करें, ना ही कोई निर्माण कार्य करें, तथा उपयोग–उपभोग में कोई बाधार ना तो स्वयं कारित करें, ना ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर जिला

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–।** (आर.ए.एस.)

गुल्लाराम बनाम बद्रीनारायण वगै.

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/39/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–। व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 209/520 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 210/521 रकबा 0.12 हैक्टेयर वाकै ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में जबरन कब्जा नहीं करें, ना ही कोई निर्माण कार्य करें, तथा उपयोग–उपभोग में कोई बाधार ना तो स्वयं कारित करें, ना ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत .....

..... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.07.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

ओहदा .....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner